सं0 सं0 टी–3 / भवन–07 / 2015 –282 /

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

/ प ट ना, दिनांक–27-01–2015

विषयः– श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण पक्ष) के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारसोई(कटिहार) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ होस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य हेतु रूपये 837.00 लाख (आठ करोड़ सैंतीस लाख)मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम संसाधन विभाग (प्रशिक्षण–पक्ष), बिहार, पटना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारसोई (कटिहार) के प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, स्टाफ होस्टल, कैन्टीन ब्लॉक, प्राचार्य आवास, उप प्राचार्य आवास, स्थल विकास एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्य का प्राक्कलन तकनीकी अनुमोदन सहित भवन निर्माण विभाग के पत्रांक–433 (भ) अनु दिनांक–14–01–2015 द्वारा रूपये 837.00 लाख (आठ करोड़ सैंतीस लाख) मात्र का प्राप्त हुआ है। भवन निर्माण विभाग के प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 837.00 लाख (आठ करोड़ सैंतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– इस योजनान्तर्गत राशि का व्यय योजना मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष 60–अन्य भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, माँग संख्या–3, उप शीर्ष–0112–औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण / पुर्ननिर्माण / उन्नयन विपत्र कोड–पी0–4059600510112 राज्य योजना स्कीम कोड–बी0 यू0 आई0–5579 से विकलनीय होगा। इस राशि के व्यय में वित्त विभाग के पत्रांक–एम0 4–05198–2561 वि (2) दिनांक–17–4–1998 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

3– इस राशि की निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जाएगी तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे।

4– इस राशि की निकासी जिला कोषागार, कटिहार से की जायेगी।

5– व्यय के प्रस्ताव में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

6– कार्य का भौतिक, वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र सचिव, भवन निर्माण विभाग के माध्यम से महालेखाकार एवं निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण को मासिक, त्रैमासिक एवं बार्षिक रूप में समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायगा।

सचिका सं0–टी–3 / भवन–07 / 2015 के पृ0–03 / टि0 पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन तथा प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–3 / भवन–07 / 2015 –282 / प ट ना, दिनांक–27.01.15

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव / योजना एवं विकास विभाग (चार प्रतियों में) / वित्त विभाग (बजट शाखा) / विकास आयुक्त के सचिव / सचिव, श्रम संसाधन विभाग के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी–3 / भवन–07 / 2015 –282 / प ट ना, दिनांक– 27.01.15

प्रतिलिपिः–सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना / जिलाधिकारी, कटिहार / प्रमण्डलीय आयुक्त, पूर्णियाँ / कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, कटिहार / प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, बारसोई (कटिहार) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / मासिक व्यय विवरणी शाखा / बजट शाखा / योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्राचार्य, औ0 प्र0 संस्थान, बारसोई (कटिहार) को निदेश दिया जाता है कि निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें।

विशेष कार्य पदाधिकारी
श्रम संसाधन विभाग।